(भारत का राजपत्र, असाधारण के भाग III खण्ड 4 में प्रकाशित)

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

जी. संख्या 72 **नई दिल्ली** 10 मई 2005

अधिसूचना

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 49 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतत्द्वारा, पोतों के स्थलान्तरण के लिए निर्धारित सशर्तताओं के संदर्भ में अपने वर्तमान दरमान में संशोधन करवाने के लिए कांडला पत्तन न्यास से प्राप्त प्रस्ताव को, संलग्न आदेश के अनुसार अनुमोदन प्रदान करता है ।

(अ.ल. बोंगिरवार)
अध्यक्ष

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

प्रकरण सं. टीएएमपी /18/2005-केपीटी

कांडला पत्तन न्यास (केपीटी) ---- आवेदक

आदेश

(अप्रैल 2005 के 25 वें दिन पारित)

यह प्रकरण पोतों के स्थलान्तरण के लिए निर्धारित सशर्तताओं के संदर्भ में अपने वर्तमान दरमान में संशोधन करवाने के लिए कांडला पत्तन न्यास से प्राप्त प्रस्ताव के संबंध में है ।

2.1. केपीटी का दरमान इस प्राधिकरण द्वारा पिछली बार इसके दिनांक 8 अप्रैल 2002 के आदेश के माध्यम से संशोधित किया गया था । अनुमोदित दरमान के साथ आदेश राजपत्र सं. 81 दिनांक 17 अप्रैल 2002 के माध्यम से अधिसूचित किया गया था ।

2.2. केपीटी के वर्तमान दरमान में, ''पत्तन की सुविधा'' को परिभाषित किया गया है और पत्तन की सुविधा के लिए पोतों के स्थलान्तरण पर कोई प्रभार नहीं लगाया जाएगा ।

3.1. केपीटी ने अपने प्रस्ताव में, किसी विशेष बर्थ पर किसी विशेष बर्थ पर किसी विशेष वस्तु के प्रहस्तन पर लगी पाबंदियों, पोत के गीयर्स की पहुंच के कारण प्रहस्तन बाधाओं, चैनल में ड्राफ्ट बाधाओं इत्यादि के कारण महसूस की गई विभिन्न प्रचालनीय कठिनाइयों का वर्णन किया है । इन प्रचालनीय बाधाओं के परिणामस्वरूप किसी पोत को एक बर्थ / लंगरगाह से दूसरे बर्थ / लंगरगाह में, स्थलान्तरित करने की आवश्यकता पड़ती है । इसने इस विषय में कुछ उद्धरणों का हवाला दिया है जो संक्षेप में नीचे दिए गए हैं :

(i) कांडला पत्तन में उपलब्ध 11 बर्थों में से बर्थ संख्या 1 से 5 तक वस्तुओं संबंधी पाबन्दी है । यहाँ गंधक, उर्वरक, कोयला, स्क्रैप, जिंक कन्सन्ट्रेट, लैड कन्सन्ट्रेट, बेन्टोनाइट इत्यादि का प्रहस्तन नहीं किया जा सकता जबकि इमारती लकड़ी के लट्ठों से भरे पोतों को बर्थ सं. 2 से 6 तक आबंटित नहीं किए जाते । उदाहरण के लिए, यदि कोई पोत बर्थ सं. 7 पर चावल की लदाई करवा रहा है या कन्टेनरों का प्रहस्तन करवा रहा है, उसे बर्थिंग नीति के अनुसार जिंक या गंधक (सल्फर) पोत को जगह देने के लिए बर्थ सं. 3 पर जाना होगा । यह स्थलान्तर चावल या कन्टेनर पोत के नाम नहीं डाला जा सकता है । वहीं, भीतर आने वाले पोतों पर अनेक कारणों से स्थलान्तरण प्रभार नहीं लगाए जा सकते । किसी विशेष बर्थ पर किसी वस्तु के प्रहस्तन पर पाबंदी के कारण किसी पोत को स्थलांतरित किए जाने की आवश्यकता है जिसे किसी अन्य पोत के नाम नहीं डाला जा सकता । अतएव इस प्रकार के स्थलान्तरण के साथ ''पत्तन सुविधा के लिए'' के रूप में व्यवहार किया जाना चाहिए ।

(ii) पत्तन पर आने वाले कुछ पोत अपने गीयरों की आउटरीच के कारण कुछ विशेष बर्थों पर ही, जैसे बर्थ सं. 1 और बर्थ सं. 7 से 10 पर ही कार्गो प्रहस्तन कर सकते हैं । इसके अलावा, कुछ पोत केवल बर्थ सं. 1 से 4 पर, पुरानी दीवारों (ओल्ड फैंडर्स) के कारण और पोतों की क्रेनों की आउट रीच के कारण कार्गो प्रहस्तन कर सकते हैं । इस प्रकार की पाबंदियों के कारण भी किसी पोत को किसी अन्य बर्थ पर स्थलान्तरित करने की आवश्यकता होती है ।

3,2, इस प्रकार की प्रचालनीय कठिनाइयों के कारण पोत के स्थलान्तरण के लिए किसी पोत को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता और ये वास्तव में ''पत्तन सुविधा के लिए'' हैं । यदि स्थलान्तरण पत्तन की सुविधा के लिए है तो जिस पोत को स्थलान्तरण के लिए कहा जाता है, वह आपत्ति नहीं करेगा, किन्तु यदि स्थलान्तरण आने वाले पोत की सुविधा के लिए है तो दूसरा पोत इस आधार पर इन्कार कर सकता है

कि उसे स्थलान्तरण के कारण ईंधन, प्रचालनीय क्षति के रुप में कुछ राशि खर्च करनी पड़ती है । अतएव, पोत के ऐसे स्थलांतरण को पत्तन की सुविधा के लिए स्थलान्तरण निर्धारित करना आवश्यक है ।

3.3. इस पृष्ठभूमि में, केपीटी ने अपने दरमान के अध्याय 11 में मान 2.2, नोट 4(i) में निम्नलिखित प्रावधान डालने के लिए प्रस्ताव किया है:

‘‘(च) पत्तन द्वारा किसी बर्थ पर वस्तुगत-पाबंदी लगाए जाने के कारण किसी अन्य पोत को स्थान देने के लिए जब कभी किसी पोत को स्थलान्तरित किया जाता है तो इसे पत्तन की सुविधा के लिए स्थलान्तरण समझा जाए ।

(छ) पत्तन द्वारा किसी बर्थ पर प्रहस्तन पाबंदी लगाए जाने के कारण किसी अन्य पोत को स्थान देने के लिए जब कभी किसी पोत को स्थलान्तरित किया जाता है तो इसे पत्तन की सुविधा के लिए स्थलांतरण समझा जाए ।

(ज) समुद्री लहरों की बाधाओं के कारण जब कभी किसी पोत को लंगरगाह तक / से स्थलान्तरित किया जाता है तो उसे भी पत्तन की सुविधा के लिए स्थलान्तरण समझा जाए ।

(झ) जब कभी किसी पोत को, चैनल / बार में जलधारा की पाबंदी के कारण स्थलान्तरित किया जाता है, तब इसे पत्तन की सुविधा के लिए स्थलान्तरण समझा जाएगा ।

(ञ) जब कभी किसी पोत को, विभिन्न बर्थो / मूरिंग्स जल की मात्रा में अंतर के कारण किसी अन्य पोत को स्थान देने हेतु स्थलान्तरित किया जाता है तब उसे भी पत्तन की सुविधा के लिए स्थलान्तरण समझा जाएगा ।

(ट) जब कभी किसी पोत को दिन और रात की पाइलटेज के लिए अनुमेय जल-मात्रा में भिन्नता के कारण किसी पोत को स्थलान्तरित किया जाता है तो उसे भी पत्तन की सुविधा के लिए स्थलान्तरण समझा जाएगा ।

(ठ) आबंटित बर्थ पर किसी का कब्जा होने के कारण जब कभी पोत को लंगरगाह पर स्थलान्तरित किया जाता है, तो उसे भी पत्तन की सुविधा के लिए स्थलान्तरण समझा जाएगा ।

(ड) जब कभी किसी पोत को, बर्थ को बेकार खाली रहने से बचाने के लिए लंगरगाह तक स्थलान्तरित किया जाता है, तब उसे पत्तन की सुविधा के लिए स्थलान्तरण समझा जाएगा ।

(ढ) पोत के तैयारी में न रहने के अतिरिक्त किन्हीं अन्य कारणों से जब किसी पोत का स्थलान्तरण खतरे का संकेत तेजी से बांधने से पहले और बाद में किया जाता है तो यह स्थलान्तरण पत्तन की सुविधा के लिए समझा जाएगा ।

(ण) नौवहन सुविधा के लिए किसी पोत को एक लंगरगाह से दूसरे लंगरगाह के लिए स्थलान्तरित करना पत्तन की सुविधा के लिए स्थलान्तरण समझा जाएगा ।

(त) यदि किसी पोत को पत्तन उपकरणों के ठीक से काम न करने बर्थ खाली न होने के कारण स्थलान्तरित किया जाता है तो उसे पत्तन की सुविधा के लिए स्थलान्तरण समझा जाएगा ।

(थ) वस्तुगत और प्रहस्तन पाबन्दियों सहित किसी भी संभावित घटना को पत्तन सुविधा के रूप में, इसी उद्देश्य से गठित समिति की सिफारिश पर, सूचीबद्ध करने के लिए अध्यक्ष, केपीटी को प्राधिकृत करना ।’’

3.4. केपीटी ने यह भी उल्लेख किया है कि कांडला संभाग पहले ही घाटे में चल रहा है और प्रस्तावित सुधार से इस पर 50 लाख रुपये प्रति वर्ष का अतिरिक्त बोझ आ जाएगा । इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए और यह मानते हुए कि स्थलान्तरण प्रभार बर्थ किराया प्रभारों का लगभग 30% होता है, इसने बर्थ किराए में 2 1/2 % की वृद्धि का प्रस्ताव किया है ।

4. निर्धारित परामर्शी प्रक्रिया के अनुसार, केपीटी का प्रस्ताव संबद्ध उपयोगकर्त्ता संगठनों को उनकी टिप्पणी के लिए भेजा गया था । कांडला स्टीवेडोर्स एसोसिएशन लिमिटेड (केएसएएल) और दि कांडला पत्तन स्टीमशिप एजैन्ट्स एसोसिएशन (केपीएसएए) ने अपनी-अपनी टिप्पणियाँ प्रस्तुत की हैं ।

5.1. केपीटी से अनुरोध किया गया था कि वह अपनी मुख्य गतिविधियों तथा उप-गतिविधियों की लागत विवरणियाँ प्रस्तुत करे । चूंकि केपीटी के दरमान का संशोधन पहले से ही अपेक्षित है, केपीटी से अनुरोध किया गया था कि वह अपने दरमान में संशोधन / परिवर्तन के लिए टुकड़ों में प्रस्ताव करने का कारण बताएँ ।

5.2. केपीटी ने बर्थ-हायर गतिविधि के लिए अपनी लागत विवरणी प्रस्तुत कर दी है जो निवेदित पूंजी पर 17.5% की दर से आमदनी मानते हुए वर्ष 2004-05 के लिए 317.35% का घाटा दर्शाती है । इसने पुन: आग्रह किया है कि पोतों की कुछ हलचलों को पत्तन सुविधा के लिए मानने संबंधी प्रस्तावित परिवर्तन से पत्तन पर और अधिक वित्तीय बोझ बढ़ेगा और इस प्रकार उसने इस प्राधिकरण से बर्थ किराया प्रभार में प्रस्तावित वृद्धि को अनुमोदन प्रदान करने का अनुरोध किया है । इसने यह भी कहा है कि उसके दरमान के संशोधन के लिए व्यापक प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है और वह नियत समय में प्रस्तुत कर दिया जाएगा ।

6. इस प्रकरण में परामर्श से संबंधित कार्यवाही इस प्राधिकरण के कार्यालय में रिकार्ड पर उपलब्ध हैं । संबंधित उपयोगकर्त्ताओं से प्राप्त टिप्पणियों का सारांश संबद्ध पक्षों को अलग से भेज दिया जाएगा । ये विवरण हमारे वैब साइट http:// tariffauthority.gov.in पर भी उपलब्ध है ।

7.1. केपीटी के प्रस्ताव में दो भाग हैं । पहले भाग में पोतों की कुछ हलचलों को पत्तन की सुविधा के लिए स्थलान्तरण निर्धारित करने के बारे में है और दूसरे भाग में, सशर्तताओं में प्रस्तावित संशोधन की वजह से होने वाली हानि की भरपाई के लिए बर्थ किराया प्रभार में 2.5% वृद्धि करने के बारे में है । जैसाकि केपीटी ने बताया है कि पोतों की पहचानी गई हलचलों की सुविधा के लिए स्थलान्तरण के रूप में वर्गीकृत करना उस तथ्य के अनुरूप है कि इस तरह की हलचलों से पत्तन द्वारा लगाई गई विभिन्न पाबंदियों के कारण बचा नहीं जा सकता । न्यायोचित रूप से, ऐसे मामलों में पोतों को लाने-ले जाने का कार्य (स्थलान्तरण) पत्तन द्वारा ही, कोई स्थलान्तरण प्रभार लगाए बिना किया जाना है । ''पत्तन की सुविधा'' की परिभाषा के विस्तार के प्रस्ताव से निस्सन्देह उपयोगकर्त्ताओं को लाभ होगा क्योंकि इस प्रकार की हलचल / आवाजाही के लिए कोई स्थलान्तरण प्रभार नहीं लगाया जाएगा । केएसएएल और केपीएसएस ने भी प्रस्तावित परिवर्तन (संशोधन) का समर्थन किया है । वैसा होते हुए, यह प्राधिकरण पोतों की विभिन्न हलचलों को पत्तन की सुविधा के लिए स्थलान्तरण के रूप में सूचीबद्ध करने हेतु प्रस्तावित सुधार को अनुमोदन प्रदान करने का इच्छुक है ।

7.2. शामिल किए जाने वाली धाराओं में से एक, असूचीबद्ध हलचलों में से किसी को भी समिति की सिफारिश के आधार पर ''पत्तन की सुविधा के लिए स्थलान्तरण'' के रूप में वर्गीकृत करने हेतु अध्यक्ष, केपीटी को विवेकाधीन अधिकार प्रदान करता है । केएसएएल और केपीएसएए ने इस धारा में परिष्कार करने हेतु सुझाव दिया है कि किसी भी घटना या संभावना को पत्तन-सुविधा के रूप में सूचीबद्ध करने के लिए केवल अध्यक्ष (केपीटी) को प्राधिकृत किया जाए । सामान्य रूप से इस प्राधिकरण ने इससे पहले, इस प्रकार के प्रावधानों पर इस आधार पर कि लागू करने के लिए दरमान सुनिश्चित होना चाहिए, कभी अनुकूलता-पूर्वक विचार नहीं किया है । तात्कालिक प्रकरण में, केपीटी ने अधिकतर संभावनाओं / घटनाओं को पत्तन सुविधा का नाम देने के लिए उनकी एक व्यापक सूची बना दी है । अवशिष्ट धारा किसी अप्रत्याशित परिस्थिति से निपटने के लिए प्रस्तावित है । यह तथ्य स्वीकार करते हुए कि पोत की किसी हलचल को पत्तन की सुविधा के लिए वर्गीकृत करने से उपयोगकर्त्ताओं को ही राहत मिलेगी, प्रस्तावित अवशिष्ट धारा को भी अनुमोदन प्रदान किया जाता है ।

8.1. सशर्तताओं में प्रस्तावित परिवर्तन के कारण संभावित घाटे की भरपाई के लिए केपीटी ने बर्थ किराया में 2 1/2 % की वृद्धि का प्रस्ताव किया है । स्थलान्तरण पाइलटेज प्रशुल्क शीर्ष से जोड़ी हुई गतिविधि है । यह मानते हुए कि कोई भी वृद्धि लागत की दृष्टि से न्यायोचित होगी, पत्तन-सुविधा शब्द के प्रोन्नयन के कारण राजस्व में संभावित कमी के लिए बर्थ किराया क्यों बढ़ाना चाहिए, इसके कारणों की व्याख्या नहीं की गई है । उपयोगकर्त्ताओं ने बर्थ किराया में प्रस्तावित वृद्धि पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है । पत्तन उपयोगकर्त्ताओं ने बताया है कि केपीटी पहले से ही पोतों के ऐसे स्थलान्तरण को पत्तन-सुविधा के कारण अनुगत करता आया है । यद्यपि ये हलचलें वर्तमान दरमान में पत्तन सुविधा की परिभाषा में सम्मिलित नहीं है ।

चाहे वह जैसा हो, समीक्षा के लिए किसी सुविधाजनक प्रशुल्क मद में से किसी को भी अधीन करने की बजाए उपयुक्त प्रशुल्क मद के साथ व्यवहार करना तर्कसंगत और उद्देश्यपरक है । केपीटी ने उस शर्त का संदर्भ दिये बिना कि वर्तमान दरमान तैयार करते समय अपनाए गए वित्तीय माडल में इसके वाडियार संभाग से आने वाली भारी मात्रा में वित्तीय सहायता को भी गणना में लिया था । अतएव, इस समय किए जाने वाले किसी भी मूल्यांकन को समस्त पत्तन की स्थिति पर विचार करना होगा । ऐसा विश्लेषण प्रस्तुत नहीं किया गया है । इन कारणों से, पत्तन द्वारा कांडला में बर्थ किराया गतिविधि की केवल लागत विवरणी पर विश्वास करके कोई सार्थक निर्णय नहीं लिया जा सकता है ।

8.2. इस प्राधिकरण ने टूना पत्तन के लिए दरों में संशोधन से संबंधित 15 मार्च 2005 के अपने हालिया आदेश में केपीटी को समीक्षा / संशोधन के लिए 30 जून 2005 तक व्यापक प्रस्ताव दाखिल करने की सलाह दी है । जैसाकि केपीटी ने सूचित किया है कि इसके दरमान की समीक्षा का व्यापक प्रस्ताव पहले से ही तैयार किया जा रहा है, हाल ही में घोषित प्रशुल्क मार्गदर्शी को ध्यान में रखते हुए अपेक्षाकृत जल्दी सामान्य समीक्षा की जा सकती है । वैसा होते हुए, बर्थ किराए में वृद्धि के लिए केपीटी का प्रस्ताव, इस पड़ाव पर स्वीकार नहीं किया जा सकता ।

9.1. परिणामस्वरूप, और ऊपर बताए गए कारणों से, तथा समग्र विचार-विमर्श के आधार पर यह प्राधिकरण उपरोक्त पैराग्राफ 3.3 में केपीटी के प्रस्ताव के अनुसार, केपीटी के दरमान के अध्याय-II के अन्तर्गत मान 2.2, नोट 4(i) में पत्तन सुविधाओं से संबंधित सशर्तताएं शामिल करने को अनुमोदन प्रदान करता है । केपीटी को निदेश दिया जाता है कि वह संशोधित मार्गदर्शियों के अनुरूप अपने दरमान की समीक्षा / संशोधन के लिए अपना व्यापक प्रस्ताव अधिकतम 30 जून 2005 तक दाखिल कर दे ।

9.2. वर्तमान दरमान में यह संशोधन इस आदेश के भारत के राजपत्र में अधिसूचना की तिथि के 30 दिन के बाद प्रभाव में आएगा ।

(अ.ल.बोंगिरवार)
अध्यक्ष